[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 60 /2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0. 158 / 95-सीमाशुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 1995, जिसे सा.का.नि. 744(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1995 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

क. तालिका में,

i. क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, “रीकन्डीशनिंग” शब्द के पश्चात्, “, अनुबंध में निर्दिष्ट माल के अलावा” शब्दों को समावेशित किया जाएगा ।

ii. क्र0सं0 2 के पश्चात् और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"3	अनुबंध में निर्दिष्ट माल, भारत में	1. इस तरह का पुन: आयात की तारीख से 7 साल के भीतर होता है; बशर्ते कि ऐसा पुन: आयात नेपाल और भूटान के मामले में निर्यात की तारीख से 10 साल के भीतर किया जाता है ।

	निर्मित और मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए भारत में फिर से आयात किया गया	2. पुन: आयात की तारीख के एक वर्ष के भीतर माल फिर से निर्यात किया जाता है; 3. सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उपायुक्त, सीमा शुल्क माल की पहचान के संबंध में संतुष्ट हैं; 4. आयात के समय आयातक निम्नलिखित को एक वचन-बंधपत्र निष्पादित करते हैं- (क) निर्धारित अवधि के भीतर मरम्मत या पुनर्निर्माण के बाद सामान निर्यात; (ख) आयात के समय लेकिन यहां निहित छूट के लिए ऐसे माल पर उद्ग्रहीत शुल्क और पुन:-आयात के समय उद्ग्रहीत शुल्क के बीच अंतर के बराबर राशि, उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक का अनुपालन किए जाने में उनकी विफलता की स्थिति में, मांग पर, भुगतान ।"

ख. तालिका के पश्चात्, निम्नलिखित अनुबंध को समावेशित किया जाएगा, अर्थात् : -

अनुबंध

क्र0.सं०.	**शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**
1.	8443 31 00	मशीनें जो स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन या नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम मुद्रण, प्रतिलिपि बनाने या प्रतिकृति ट्रांसमिशन के दो या अधिक कार्यों को निष्पादित करती हैं,
2.	8471 30, 8471 41, 8471 49 00, 8471 50 00	स्वचालित डेटा प्रसंस्करण मशीनें और इसकी इकाइयां; कोडेड रूप में डेटा मीडिया पर डेटा लिप्यंतर किए जाने हेतु चुंबकीय या ऑप्टिकल रीडर्स, मशीनें और ऐसे डेटा, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं, को संसाधित करने के लिए मशीनें
3.	8472 90 30	स्वचालित बैंक नोट डिस्पेंसर
4.	8504 40	स्टेटिक कन्वर्टर्स
5.	8517	सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन सहित टेलीफोन सेट; 8443, 8525, 8527 या 8528 शीर्षक के ट्रांसमिशन या रिसेप्शन उपकरण के अलावा वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क (जैसे

		स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क) में संचार के लिए उपकरण सहित आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए अन्य उपकरण
6.	8518 40 00	ऑडियो आवृत्ति विद्युत एम्पलीफायर
7.	8518 50 00	इलेक्ट्रिक ध्वनि एम्पलीफायर सेट
8.	8525	रेडियो प्रसारण या टेलीविजन के लिए चाहे ट्रांसमिशन उपकरण, रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हो या नहीं; टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर
9.	8526	रडार उपकरण, रेडियो नेविगेशन सहायता उपकरण और रेडियो रिमोट कंट्रोल उपकरण
10.	8528 62 00	प्रोजेक्टर्स: 8471 शीर्षक की स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन के साथ सीधे कनेक्ट करने और उपयोग के लिए डिज़ाइन किए जाने योग्य
11.	8528 71 00	टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण, चाहे रेडियो प्रसारण रिसीवर या ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हों या नहीं: वीडियो डिस्प्ले या स्क्रीन को शामिल किए जाने हेतु डिज़ाइन नहीं किया गया है
12.	8528 72	रंगीन टीवी
13.	8531 20 00	लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस (एलसीडी) या लाइट एमिट्टिंग डायोड्स (एलईडी) को शामिल किए जाने वाले संकेतक पैनल
14.	9018 11 00	विद्युत कार्डियोग्राफ्स
15.	9018 12	अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग उपकरण
16.	9018 13	चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग उपकरण
17.	9018 19 10	इलेक्ट्रो मस्तिष्कचित्रण
18.	9018 19 20	एको कार्डियोग्राफ
19.	9021 40	हियरिंग एड्स
20.	9022	एक्स-रे या अल्फा, बीटा या गामा विकिरण के उपयोग के आधार

		पर उपकरण, रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्स-रे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार सारणी, कुर्सियों और इसी प्रकार के सहित जैसेचाहे चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत या पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए हो या नहीं
21.	9027	भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपकरण और उपकरण (उदाहरण के लिए, ध्रुवीकरण, रिफ्रैक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, गैस या धुआं विश्लेषण उपकरण); चिपचिपाहट, पोरोसिटी, विस्तार, सतह तनाव या पसंद की माप या जांच के लिए उपकरण और उपस्कर; गर्मी, ध्वनि या प्रकाश (एक्सपोजर मीटर सहित) की मात्रा को मापने या जांचने के लिए उपकरण और उपस्कर; माइक्रोटोम्स
22.	9028 30	गैस, तरल या बिजली आपूर्ति या उत्पादन मीटर, जिसमें कैलिब्रेटिंग मीटर शामिल हैं - बिजली मीटर
23.	9030	9028 शीर्षक के मीटर को छोड़कर, बिजली की मात्रा को मापने या जांचने के लिए ऑसीसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम विश्लेषक और अन्य यंत्र और उपकरण; अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रे, लौकिक या अन्य आयनकारी विकिरण को मापने या पहचानने के लिए यंत्र और उपकरण
24.	9032	स्वचालित विनियमन या नियंत्रण यंत्र और उपकरण

[फा.सं. 356/13/2014-टीआरयू (पार्ट)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना सं0. 158/95-सीमा शुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 1995 को सा.का.नि. संख्या 744 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1995 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 778(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत अधिसूचना संख्या 43/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।